रजिस्ट्री सं० डी(डी)-72

REGISTERED No. D. (D.)-72

6 FEB 1979

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 1, 1979/पौष 11, 1900

No. 3] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 1, 1979/PAUSA 11, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मन्त्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना सं० 2-ईटीसी(पीएन)/79

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1979

निर्यात व्यापार नियन्त्रण

विषय :—1-1-1979 से 31-12-1979 तक खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत कपास, ऊन और मानव निर्मित रेशों से बने वस्त्रों का संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय आर्थिक समुदाय सदस्य राज्यों को निर्यात करने के लिए योजना।

सं० 2/26/78-ई०आई०/—उपर्युक्त विषय पर निर्यात (नियंत्रण) संशोधन आदेश सं० ई(सी)ओ० 1977/ए एम (85) दिनांक 1-1-79 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. यह योजना कोटा वर्ष 1 जनवरी, 1979 से 31 दिसम्बर, 79 के लिए (क) 106 श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले वस्त्रों के संयुक्त राज्य अमरीका को; और (ख) 114 श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले वस्त्रों के यूरोपीय आर्थिक समुदाय सदस्य राज्यों अर्थात् पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेनिलक्स, यू०के०, आयरिश गणतन्त्र और डेन्मार्क को निर्यातों से सम्बन्धित है।

3. कोटा आबंटन के उद्देश्य के लिए पोतलदान अवधि छः-छः महीनों की दो अवधियों अर्थात् 1 जनवरी, 1979 से 30 जून, 1979 और 1 जुलाई, 1979 से 31 दिसम्बर, 1979 में विभाजित की जाएगी। वार्षिक कोटे का 60 प्रतिशत प्रथम 6 महीनों के दौरान आबंटित किया जाएगा और शेष 40 प्रतिशत अगले छः महीनों के दौरान। सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई ऊनी वस्त्रों और बनी हुई वस्तुओं को छोड़कर वस्त्रों और बनी हुई वस्तुओं के लिए कोटों का आबंटन करेगी। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली सलाई से बुने हुए ऊनी वस्त्रों को छोड़कर पोशाकों और सलाई से बुने वस्त्रों के लिए कोटा निर्धारित करेगी और ऊनी वस्त्रों, बनी वस्तुओं और सलाई से बने ऊनी वस्त्रों परन्तु ऊनी पोशाकों को छोड़कर, के लिए कोटे का निर्धारण ऊन व ऊनी निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली द्वारा किया जाएगा। कोटा वर्ष की प्रथम छमाही में मांग पर निर्भर करते हुए सरकार द्वारा इस विभाजन के पुनः समंजन पर विचार किया जा सकता है।

4. वस्त्रों और बनी हुई वस्तुओं के लिए कोटे का 50 प्रतिशत का निर्धारण तैयार माल के लिए पहले आए सो पहले पाए के आधार पर किया जाएगा और शेष 50 प्रतिशत का निर्धारण पक्की संविदाओं के लिए पहले आए सो पहले पाए के आधार पर किया जाएगा। आवश्यकता पर निर्भर करते हुए तैयार माल निर्धारण और पक्की संविदा निर्धारण के संबंधित अनुपात का समंजन जब कभी सरकार आवश्यक समझे कर सकती है।

5. पोशाकों और सलाई से बुने हुए वस्त्रों के लिए कोटे के 40 प्रतिशत का निर्धारण तैयार माल के लिए पहले आए सो पहले पाए के आधार पर और शेष 60 प्रतिशत पक्की संविदाओं के लिए पहले आए सो पहले पाए के आधार पर किया जायगा। इन दोनों पद्धतियों में से प्रत्येक के अन्तर्गत कोटे के 20 प्रतिशत का निर्धारण उच्चतर मूल्य की मदों के लिए किया जायगा। यदि उच्चतर कीमत निर्धारण का भाग पहले समाप्त हो जाता है तो उच्चतर कीमत वाला माल स्वाभाविक रूप से अन्य माल के साथ अन्य भाग में पात्रता प्राप्त करेगा। इस प्रयोजन के लिए न्यूनतम मूल्य के दो आधार होंगे—एक का संबंध 20 प्रतिशत आबंटन द्वारा उच्च मूल्य मदों के साथ और दूसरा शेष 80 प्रतिशत

आबंटन के द्वारा आने वाली मदों के लिए न्यूनतम मूल्य का आधार होगा। सूती पोशाक और बुने हुए वस्त्रों के लिए कोटा आबंटन साख-पत्र शर्तों पर किया जाएगा। तैयार माल के आबंटन के लिए पहले आए, सो पहले पाए के आधार पर साख-पत्र कोटा पृष्ठांकन के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए और पक्के आदेश आबंटन के लिए पहले आए सो पहले पाए के आधार पर साख-पत्र कोटा आबंटन के 60 दिनों के भीतर अथवा पोतलदान के लिए कोटा पृष्ठांकन से पहले जो भी इनमें पहले आता हो, प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर कोटा आबंटन स्वतः समाप्त समझा जाएगा।

6. पहले आए सो पहले पाए के आधार पर तैयार माल के कोटा आबंटन के मदें पोतलदान कोटा पृष्ठांकन की दिनांक से 10 दिनों के भीतर प्रभावी होगा। लेकिन कई मामलों में उचित कारणों के लिए वस्त्र आयुक्त अथवा उसके प्रतिनिधि से विशिष्ट अनुमोदन पर यह अवधि बढ़ाई जा सकती है।

7. पहले आए सो पहले पाए के आधार पर पक्के आदेश के आबंटन के मामले में, यदि प्रस्ताव अंतिम तिथि तक उपलब्ध कोटा से अधिक है तो इस उद्देश्य के लिए इन प्रस्तावों में से एक पसन्द की जानी चाहिए तो एकक मूल्य के आधार पर चुनाव किया जाएगा। ऐसे अवसर पर उच्च एकक मूल्य का संरक्षण होगा। उन मामले में, अंतिम तिथि को बच्चों की पोशाकों के लिए विशेष आबंटन पर विचार किया जायगा और सुविधा प्रदान की जाएगी।

8. जहां कहीं सूती, ऊनी और हाथ से बने हुए वस्त्रों के मदें के लिए कोटा सम्मिलित किया जाता है तो ऐसे सम्मिलित कोटा का 0.5 प्रतिशत भाग प्रत्येक ऊनी पोशाकों और हाथ से बुने हुए पोशाकों के लिए नियुक्त किया जाता है। फिर भी, यह इस पर पुनः विचार किया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर सरकार द्वारा इन मदों के लिए आरक्षण में आगे वृद्धि अथवा कटौती की जा सकती है।

9. उन मामलों में जहां आबंटन के लिए हथकरघा और मिल द्वारा बनाए हुए मदों का इकट्ठा किया जाता है, अमरीका के मामले में दूसरों के लिए हथकरघा का अनुपात 2 : 1 होगा; जबकि अन्य क्षेत्रों के लिए यह 1 : 1 होगा। मांग की स्थिति को देखते हुए इन अनुपातों में संशोधन भी किए जा सकते हैं।

10. इस उद्देश्य के लिए मनोनीत निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा जारी किए गए अलग-अलग परेषणों के लिए पोत परिवहन बिलों की मूल और द्वितीय प्रति पर कोटा पृष्ठांकन के आधार पर पोतलदानों की अनुमति सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पोतलदान के पत्तनों पर दी जाएगी। लेकिन संयुक्त राज्य अमरीका के संबंध में पोतलदानों की अनुमति देने से पहले सम्बद्ध निर्यात संवर्धन परिषद् या इसके प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा जारी किए गए विशेष सीमाशुल्क बीजक सं० 55/5 पर सीमाशुल्क प्राधिकारी सीमा पृष्ठांकन का भी सत्यापन करेंगे। यूरोपीय आर्थिक समुदाय सदस्य राज्यों को निर्यातों के सम्बन्ध में कोटा पृष्ठांकन के साथ सम्बद्ध निर्यात संवर्धन परिषद् निर्यात प्रमाणपत्र और अलग-अलग सीमा श्रेणी रखने वाले श्रेणियों के लिए उद्गम प्रमाण-पत्र और अलग-अलग सीमा श्रेणी न रखने वाली अन्य श्रेणियों के उद्गम प्रमाण-पत्र जारी करेगी; ये प्रमाण-पत्र गन्तव्य स्थानों पर निकासी प्राप्त करने के लिए आयातकों को भेजने के लिए होंगे।

11. इस योजना के अन्तर्गत शामिल वस्त्र उत्पादों की श्रेणियों की सूचियां सम्बद्ध निर्यात संवर्धन परिषद् के पास उपलब्ध है।

12. जहां तक संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय आर्थिक समुदाय को हथकरघा वस्त्रों, हथकरघा वस्त्रों से बनी वस्तुओं और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के संबंध में श्रेणी 7, 8, 26 और 27 श्रेणियों से भिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले हथकरघा वस्त्रों से तैयार बनी हुई पोशाकों के संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय आर्थिक समुदाय को निर्यात का सम्बन्ध है। पोतलदानों की अनुमति सम्बद्ध निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा कोटा पृष्ठांकन की आवश्यकताओं के बिना सीमा शुल्क कार्यालय द्वारा वस्त्र समिति के प्रमाणन के आधार पर दी जाएगी। संयुक्त राज्य अमरीका को श्रेणी 336, 340, 341, 347 और 348 के अन्तर्गत आने वाले हथकरघा की पोशाकों के निर्यात के लिए वस्त्र समिति द्वारा प्रमाणन परिधान निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा कोटा आबंटन के आधार पर जारी किया जायगा।

13. जो भारतीय मदें विशेष रूप से भारतीय परम्परागत लोकवस्त्र उत्पाद हैं उनके सम्बन्ध में संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय आर्थिक समुदाय को निर्यातों के लिए अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड या वस्त्र समिति द्वारा जारी किए गए उचित प्रमाण-पत्रों के आधार पर सीमा-शुल्क विभाग द्वारा अनुमति दी जाएगी। भारत मदों के रूप में प्रमाणित मदों के लिए सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पोत परिवहन बिलों के पृष्ठांकन के लिए सम्बद्ध निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा किसी भी कोटा पृष्ठांकन की आवश्यकता नहीं होगी।

14. वस्त्र आयुक्त बम्बई या उसके द्वारा मनोनीत कोई अधिकारी कोटा निर्धारण से संबंधित मामलों पर दिन प्रतिदिन पर्यवेक्षण रखेगा। विभिन्न सम्बद्ध निर्यात संवर्धन परिषदों के प्रतिनिधियों सहित वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति समय-समय पर परिस्थिति की पुनरीक्षा करेगी।

15. पोशाकों और सिलाई से बने वस्त्रों के लिए कोटा आबंटन के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 10 प्रतिशत मूल्य के लिए आवेदक द्वारा निर्यादन बाण्ड पहले आए सो पहले पाए पक्की सविधा के आधार पर आबंटन के लिए आवेदनपत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। पहले आए सो पहले पाए तैयार माल के आधार पर कोटा निर्धारण के मामले में प्रति नग एक रुपया या जहाजपर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 10 प्रतिशत जो भी अधिक हो, की दर पर अग्रिम धन आवेदक को कोटा पृष्ठांकन के समय जमा करना होगा। यदि कोटा आबंटन/कोटा पृष्ठांकन का वैधता अवधि के भीतर 90 प्रतिशत से कम उपयोग होगा तो निर्यात का साक्ष्य प्रस्तुत करने पर जमा किए गए अग्रिम धन/बांड निर्यादन का पूर्ण धनराशि वापिस कर दी जाएगी। यदि कोटा निर्धारण का उपयोग 90 प्रतिशत से कम होगा तो निर्यादन बांड की पूर्ण धनराशि के लिए जुर्माना किए जाएगा, और जमा किया गया पूर्ण अग्रिम धन जब्त किया जा सकता आगे यदि कोटे का अभ्यर्पण आबंटन के 25 प्रतिशत से अधिक का न ऐसे आबंटन के लिए आगे कोटा आबंटन को मना करने पर विचार किया जा सकता है। लेकिन प्रधान शक्ति की शर्तों में उपयुक्त छूट पर विचार किया जा सकता है।

16. निर्यात की अनुमति भारत के भारत में किसी भी पत्तन से दी जाएगी।

17. निर्यात संवर्धन परिषदों के पते निम्नलिखित अनुसार

(1) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्
"इंजीनियरिंग सेन्टर,
9, मेथ्यू रोड, पांचवीं मंजिल,
बम्बई-400004।

(2) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद्,
सहयोग बिल्डिंग, चौथी मंजिल,
50 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019।

(3) ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्,
714 अशोक एस्टेट,
24 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001।

18. उपर्युक्त व्यवस्थाओं के अनुसार जिन व्यक्तियों को कोटा आवंटित किया गया है लेकिन जो उसको पूर्ण रूप से उपयोग में नहीं लाते है उनके विरुद्ध जो इस सम्बन्ध में अन्य कार्रवाई की जा सकती है उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ही उन्हें भविष्य में कोटा प्राप्त करने के लिए घोषित किया जा सकता है।

19 1978-79 की निर्यात नीति में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे :

क्रम सं॰	पृष्ठ सं॰	सन्दर्भ	संशोधन
1.	28 एवं 29	क्रमश: क्रम सं॰ नं॰ 70(v) और नं॰ 70(vi) के सामने कालम 3 में	विद्यमान अभियुक्ति सं॰ 1 निम्नलिखित अनुसार पढ़ने के लिए संशोधित की जाएगी :— "निम्नलिखित द्वारा कोटा आवंटन के मद्दे— (क) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, ऊनी वस्त्र और उनसे बनी हुई वस्तुओं को छोड़कर वस्त्रों और उन से बनी हुई वस्तुओं के लिए सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् सलाई से बनी हुए ऊनी वस्त्रों को छोड़कर पोशाकों और सलाई से बने हुए वस्त्रों के लिए (ग) ऊन और ऊनी निर्यात संवर्धन परिषद्, ऊनी वस्त्रों से बनी वस्तुओं और सलाई से बने हुए ऊनी वस्त्रों के लिए परन्तु ऊनी पोशाकों को छोड़कर । पोतलदान बिलों पर पृष्ठाङ्कन द्वारा ।"

का॰ वें॰ शेषाद्रि, मुख्य नियंत्रक
आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE NO. 2-ETC (PN)/79

New Delhi, the 1st January, 1979

EXPORT TRADE CONTROL

ɪb : Scheme for exports under OGL 3 of textiles made **from cotton, wool and man-made fibres to USA and EEC Member States from 1-1-1979 to 31-12-1979.**

[o. 2/26/78-EI.—Attention is invited to the **Exports** (Cont-. Amendment Order No. E(C) O. 1977/AM(85) dated 1979 on the above subject.

The scheme relates to the exports of textiles (a) falling **or 106 categories to the USA and (b) 114 categories to EEC Member States, viz., West Germany, France, Italy, lux, U.K., Irish Republic and Denmark for the quota year anuary, 1979 to 31st December, 1979.**

3. For the purposes of quota allotment, Shipment period will be divided into two six-monthly periods, i.e. from 1st January, 1979 to 30th June, 1979 and from 1st July, 1979 to 31st December, 1979. 60% of the annual quota will be allocated during the first six months and the rest 40% during the next six months. The Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay will allocate quotas for fabrics and made-ups excluding woollen fabrics and made-ups. The Apparels Export Promotion Council, New Delhi will allocate quota for garments and knitwear excluding woollen knitwear and the allocation for woollen fabrics, made-ups and woollen knitwear but excluding woollen garments will be made by the Wool and Woollens Export Promotion Council, New Delhi. Depending upon the demand in the first-half of the quota year, readjustments of this division may be considered by the Government.

4. For fabrics and made-up articles, 50% of the quota will be allocated on first-come first-served basis for ready goods and the rest 50% on first-come first served basis for firm contracts. Depending upon the need, adjustment of the related proportion of ready goods allocation and firm contracts allocation may be made by the Government whenever it is found necessary.

5. For garments and knitwear, 40% of the quota will be allocated on first-come first-served basis for ready goods and the rest 60% on first come first served basis for firm contracts. Under each of these two systems, 20% of the quota will be allocated for higher value items. In case the portion for higher price allocation gets exhausted first, the goods with higher price will naturally have the eligibility in the other portion alongwith the other goods. For this purpose there will be two sets of floor prices - one relating to higher value items covered by 20% allocation and the other basic floor price for items covered by the remaining 80% of the allocation. Quota allocation for cotton garments and knitwear will be made on LC terms. For first-come first-served ready goods allocation, LC should be produced at the time of quota endorsement asd for first-come first-served firm contract allocation, LC should be produced within 60 days of quota allocation or before quota endorsement for shipment, whichever is earlier, failing which quota allocation will be automatically deemed to lapse.

6. Shipments against quota allocations on first-come first-served ready goods basis will have to be effected within 10 days from the date of quota endorsement. However, this period can be extended in exceptional cases for valid reasons in specific authorisation from the Textile Commissioner or his representative.

7. In the case of first-come first-served firm contract allocation, if the offers are more than the quota available on the terminal date, a choice among offers may have to be made and, for this purpose, selection will be made on the basis of unit price. The higher unit price will be the criterion in such an eventuality. In that case, on the terminal date special allocation for children's garments will be considered and provided.

8. Wherever the quotas for cotton, woollen and man-made fibres items are combined, 0.5% of such combined quotas have been reserved each for woollen garments and man-made fibres garments. This is, however, subject to review and, if necessary, a further enhancement or reduction in the reservation for these items may be made by Government.

9. In cases where handloom and millmade items are clubed together for allocation, the ratio of handloom to others in the case of the UA will be 2 : 1, whereas it will be 1 : 1 for other areas. These ratios may be amended depending upon the trend of demand.

10. Shipments will be allowed by the Customs Authorities at the ports of shipment on the basis of quota endorsement on the original and duplicate of the shipping bills for individual consignments issued by the Export Promotion Council designated for this purpose. In respect of USA, however, before allowing shipments, the Customs Authorities would also verify the visa endorsement on the Special Customs Invoice No. 5515 issued by the Export Promotion Council concerned or its authorised representatives. In respect of exports to EEC Member States, alongwith the quota endorsement, the Export Promotion Council concerned will issue export certificate and certificate of origin for categories having individual category limits and certificate of origin in respect of other categories not having individual category limits for forwarding these certificates to importers for obtaining clearance at the destination.

11. The lists of categories of textile products covered under the scheme are available with the Export Promotion Councils concerned.

12. In so far as exports to USA and EEC of handloom fabrics, made-up articles made from handloom fabrics and woven garments made from handloom fabrics falling under categories other than categories 7, 8, 26 and 27 in respect of EEC are concerned, shipments will be permitted by the Customs on the basis of the certification by the Textiles Committee without the requirements of the quota endorsement by the Export Promotion Councils concerned. In the case of handloom garments falling under categories 336, 340, 341 347 and 348 for exports to USA, certification by the Textiles Committee will be issued on the basis of quota allotment by the Apparels Export Promotion Council.

13. In respect of India items which are typically Indian traditional folklore textile products, shipments will be permitted by the Customs for exports to USA and EEC on the basis of appropriate certificates issued by All India Handicrafts Board or the Textiles Committee. For items certified as India items, no quota endorsement by the Export Promotion Councils concerned will be required for endorsement of the shipping bills by the Customs Authorities.

14. The Textile Commissioner, Bombay, or an officer designated by him will have a day-to-day supervision over the matters relating to quota allocation. A Co-ordination Committee with the Textile Commissioner as the Chairman and representatives of various Export Promotion Councils concerned will review the situation from time to time.

15. For garments and knitwear, performance bond for a value of 10% of the f.o.b. value of quota allotment will have to be submitted by the applicant alongwith the application for quota allotment on first-come first-served firm contract ready In the case of quota allocation on first-come first served ready goods basis, earnest money at the rate of Re. 1/- per piece or 10% of the f.o.b. value, whichever is higher, will have to be deposited by the applicant at the time of quota endorsement. If the utilisation within the validity period of quota allotment/quota endorsement is not less than 90%, full amount of earnest money deposit/performance bond will be refundable on production of evidence of export. If the utilisation of quota allocation is less than 90%, penalty for the full amount of the performance bond will be imposed, and the full earnest money deposited will be liable to be forfeited. Further, if the surrender of quota is in excess of 25% of allotments, refusal of further quota allotment for such allottees may be considered. However in conditions of force majeure, appropriate exemptions may be considered.

16. Exports will be allowed from any port in India.

17. The addresses of the Export Promotion Councils are as follows :—

(i) The Cotton Textiles Export Promotion Council,
'Engineering Centre'
9, Mathew Road, 5th Floor,
Bombay-400004.

(ii) Apparels Export Promotion Council,
Sahayog Building, 4th Floor,
59, Nehru Place,
New Delhi-110019.

(iii) Wool and Woollens Export Promotion Council,
714, Ashoka Estate,
24, Barakhamba Road,
New Delhi-110001.

18. Persons to whom quotas are alloted in accordance w the above arrangements but who do not utilise them fr would be liable to disqualifications from getting futur quotas without prejudice to any other action that may be taken in this behalf.

19. The following amendments shall hereby be made in the Export Policy, 1978-79 :—

S. No.	Page No.	Reference	amendement
1.	28 and 29	In Column 3 against S. No. 70(v) and 70 (vi) respectively.	The existing remark No. 1 shall be amended to read as under: "Against quota allotment by Promotion Council for fabrics and made-up excluding wooller fabrics and made-ups (b) The Apparels Export Promotion Council for garments and knitwears excluding woollen Knitwear (c) Wool and Woollen Export Promotion Council for woollen fabrics made-ups and woollen knitwear but excluding woollen garmer by endorser on shipping b

[Issued from file No. 2/26/

K. V. SESHAI
Chief Controller of Imports & Ex

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979